भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3434**

जिसका उत्तर 12.03.2026 को दिया जाना है

**वन क्षेत्र में सड़कों का निर्माण**

3434. श्री अमर शरदराव काले:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्धा जिले में महाराष्ट्र राज्य अवसंरचना विकास निगम (एमएसआईडीसी) के हाइब्रिड एन्युइटी प्रोग्राम (चरण-II) के अंतर्गत कारंजा-वाघोड़ा-जलालखेड़ा रोड (एसएच-323) और हिंगानी बोर धरण-धानोली-काजली-सावली से राष्ट्रीय राजमार्ग-06 रोड (एमडीआर-58) के सुधार कार्यों में वन क्षेत्र से गुजरने वाली लगभग 4.52 किलोमीटर सड़क को शामिल किया गया है;

(ख) क्या उक्त कार्य के लिए वन विभाग से आवश्यक अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो बिना अनुमति के कार्य आदेश जारी करने, पुलों के निर्माण और पेड़ों की कटाई के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार के संज्ञान में यह आया है कि उक्त क्षेत्र बाघों, भालुओं आदि जैसे जंगली जानवरों के आवास के अंतर्गत आता है और सड़क निर्माण से पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है; और

(ङ) यदि हाँ, तो वन, पर्यावरण और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्तर**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव से संबंधित है। कारंजा-वाघोड़ा-जलालखेड़ा सड़क (एसएच-323) और हिंगानी बोर धरण-धानोली-काजली-सावली से राष्ट्रीय राजमार्ग-06 तक सड़क (एमडीआर-58) राज्य की सड़कें हैं, जिनका विकास महाराष्ट्र राज्य अवसंरचना विकास निगम (एमएसआईडीसी) द्वारा राज्य सरकार की निधि के माध्यम से किया जा रहा है।

*****